

2 नं 02/25

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियम 1953 की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रो. अशोक कुमार को पदावधि पूर्ण होने पर सेवा से निवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है।
आदेश दिनांक 10/03/25

10-03/25

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियम 1953 की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रो. अशोक कुमार को पदावधि पूर्ण होने पर सेवा से निवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है।
दिनांक 07-04-25

24/3/25

अपील नं. 18/25 के संबंध में प्रो. अशोक कुमार को पदावधि पूर्ण होने पर सेवा से निवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है।
दिनांक 24/3/25

सुरेश कुमार

पदावधि पूर्ण होने पर सेवा से निवृत्त करने का आदेश जारी किया गया है।
(समाप्त)

